हड़ताल के अधिकार की रक्षा करो संघर्षों को और तेज करो

☐ डब्ल्यू आर वरदराजन

कटक में गत 24 से 27 जुलाई तक आयोजित सी आइ टी यू जनरल काउंसिल की चार दिवसीय बैठक के अंत में आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए एम के पंधे ने देश के मजदूर वर्ग को आह्वान किया कि हड़ताल के अपने अधिकार की मजबूती के साथ रक्षा करे,फिर चाहे किसी भी हलके से इस अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा हो या इसमें विघ्न डाला जा रहा हो। उन्होंने सघन संघर्षों के कार्यक्रमों की एक पूरी श्रंखला की भी घोषणा की। ये संघर्ष साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की नीतियों और श्रम अधिकारों पर हमलों,जिन्हें भाजपा के नेतृत्ववाली केंद्र की एन डी ए सरकार जोर-शोर से लागू कर रही है, के प्रतिरोध की देशव्यापी प्रक्रिया को और आगे ले जानेवाले संघर्ष होंगे।

उड़ीसा राज्य सी आइ टी यू के अध्यक्ष लंबोदर नायक कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हो रही इस विशाल सभा की अध्यक्षता की। एक रंगारंग जुलूस के बाद राज्य भर से आए हजारों स्त्री-पुरूष इस सभा में उपस्थित थे। सभा को अन्य लोगों के अलावा उड़ीसा राज्य सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष जनार्दन पाती,राज्य सी आइ टी यू के महासचिव बिष्णु मोहंती, सी आइ टी यू सचिव के हेमलता और उड़ीसा के मजदूर वर्ग के जाने-माने नेता शिवाजी पटनायक ने भी संबोधित किया।

सी आइ टी यू जनरल काउंसिल की यह बैठक तमिलनाडु की जयललिता सरकार द्वारा राज्य के 13 लाख कर्मचारियों तथा शिक्षकों, जो 2 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे, के खिलाफ छेड़े गए भयानक हमले की पृष्ठभूमि में हो रही थी। इस हमले के मद्देनजर सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की बैठक ने आगामी 13 अगस्त को देशभर में राज्य तथा जिला मुख्यालयों पर शक्तिशाली विशाल प्रदर्शनों का आयोजन करने का आह्वान किया है। इसके अलावा देशभर की सीटू यूनियनें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को विरोध टेलीग्राम भी भेजेंगी।

सी आइ टी यू जनरल कौंसिल तमिलनाडु सरकार की पैशाचिक कार्रवाईयों के खिलाफ अलग से एक प्रस्ताव पारित करके राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों तथा शिक्षकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तानाशाही कदमों के लिए ए आइ ए डी एम के की मुख्यमंत्री जयललिता के नेतृत्ववाली तमिलनाडु सरकार की निंदा की।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (टी ई एस एम ए-एस्मा) 2002 के नाम पर एक कानूनहीन कानून से अपने को लैस कर लिया है, जो खुद अपने आप में एक काला कानून है। यह कानून बनाए जाने के बाद पहली बार इसके कड़े प्रावधानों को लागू किया और कर्मचारियों तथा शिक्षकों को यूनियनों के 2300 से अधिक नेताओं को 30 जून 2003 की मध्य रात्रि के समय गिरफ्तार कर लिया गया। कर्मचारियों तथा शिक्षकों की यह हड़ताल, विभागों में कर्मचारियों की संख्या कम करने और पेंशन तथा दूसरे लाभों में भारी कटौती किए जाने के प्रतिगामी कदमों के खिलाफ आयोजित की गयी थी। इसके बाद सरकार ने अपने आपको यह अधिकार देते हुए कि वह बिना विवेक का इस्तेमाल किए और कर्मचारियों की बात सुने जाने का मौका ही उन्हें खड़े-खड़े और सामूहिक रूप से बर्खास्त कर सकती है, एक अध्यादेश जारी कर दिया। तानाशाही को नंगा प्रदर्शन करते हुए करीब 2 लाख कर्मचारियों को बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए ही खड़े-खड़े बर्खास्त कर दिया गया।

तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। उसने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए यूनियनों के साथ बातचीत करने के प्रति भी हठी रुख अपनाया। वह हड़ताल को कुचल देने के लिए आमादा था।

खतरनाक संकेत

इस स्थिति में तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का फैसला, जैसा कि मीडिया की रिपोर्टों से पता चलता है, एक बहुत बड़े धक्के के रूप में सामने आया है, जिसमें देश के मजदूरों को उनके बुनियादी जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 'हड़ताल' शब्द की 'एक ऐसे हथियार के रूप में जिनका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ है,' लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उदारीकरण के बाद के वर्षों की

सी आइ टी यू का ग्यारहवां महाधिवेशन

सी आइ टी यू का 11वां महाधिवेशन 9 से 13 दिसम्बर 2003 तक चेन्नई में होगा। जनरल कौंसिल ने महाधिवेशन का आयोजन करने से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की और निर्णय लिये जो इस प्रकार हैं:

सी आइ टी यू के संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाएगा जिसके अन्तर्गत 'जनरल कौंसिल की बैठक वर्ष में कम से कम एक तथा कार्य समिति की वर्ष में एक बैठक' करने की व्यवस्था की जाएगी।

महाधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक 1500 सदस्यों या उससे कुछ कम के पीछे एक प्रतिनिधि की दर से किया जाएगा (जबकि दसवें महाधिवेशन के लिये 1250 सदस्यों के पीछे एक प्रतिनिधि का निर्धारण करने का नियम बनाया गया था।)

कामकाजी महिलाओं को प्रतिनिधिमंडलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के मामले में सभी राज्यों के लिये न्यूनतम 15 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया जाता है; उन राज्यों में जहां महिलाओं की सदस्य संख्या 15 प्रतिशत से अधिक हो, उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा सकता है।

राज्य समितियों को यह बात भी यकीनी बनानी चाहिये कि अखिल भारतीय महाधिवेशन के लिये प्रतिनिधिमंडल मिला जुला हो; उसमें पूर्ण कालिक कार्यकर्ता भी हों और वास्तविक श्रमिक भी।

प्रस्ताव किया जाता है कि अखिल भारतीय सैक्रेटेरियट में चुने जाने वाले पदाधिकारियों, कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल की सदस्य संख्या का आकार इस प्रकार होना चाहिए :

पदाधिकारी	:	बाद में फैसला लिया जाएगा
कार्य समिति	:	125+ पदाधिकारी
जनरल कौंसिल	:	300+ कार्यसमिति

इन समितियों में प्रत्येक राज्य के लिये प्रतिनिधित्व कितना हो; इसका फैसला उनकी सदस्य संख्या के अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। कार्य समिति में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले, इसे भी यकीनी बनाना होगा।

महाधिवेशन के लिये प्रतिनिधियों की संख्या और कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल में सीटों के वितरण के मामले में सी आइ टी यू केंद्र को भेजी गई वार्षिक विवरणियों तथा सम्बद्धता शुल्क के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यह काम 15 सितम्बर 2003 तक पूरा हो जाना चाहिए।

सी आइ टी यू केंद्र ने महाधिवेशन के दस्तावेजों को तैयार करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ताकि उन्हें नवम्बर के पहले सप्ताह तक स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराने तथा प्रतिनिधियों में उनका वितरण करने के लिये राज्य समितियों के पास भेजा जा सके।

हिन्दी, बंगाली, मलयालम, तमिल तथा तेलगू भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था करने के लिये गंभीर प्रयास किये जाएंगे। सी आइ टी यू सैक्रेटेरियट को इन प्रबंधों के तकनीकी पक्षों जिनमें लागत का कारक भी शामिल है, पर गहराई में जाकर विचार करना होगा। यह विषयों पर कमिशन बनाए जाएंगे। सी आइ टी यू सैक्रेटेरियट इसके विषयों को अंतिम रूप देगा। जनरल कौंसिल ने महाधिवेशन के लिये एक प्रस्ताव कमेटी का भी गठन किया। तपन सेन को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी के अन्य सदस्य हैं : के एन रवीन्द्रनाथ, श्यामल चक्रवर्ती, ए के पद्मनाभन तथा सी एच नरसिंह राव। प्रतिनिधि जरूरत पड़ने पर लिखित रूप में प्रस्तावों पर अपने संशोधन भेज सकते हैं; उन्हें यह काम महाधिवेशन में उनके पेश किये जाने का इंतजार किये बिना एक निश्चित समय के भीतर करना होगा।

अखिल भारतीय महाधिवेशन के समय जत्थों के माध्यम से देशव्यापी अभियान चलाए जाएंगे। इन्हें किस ढंग से चलाया जाएगा, इसकी योजना सी आइ टी यू केन्द्र द्वारा बनाई जाएगी तथा वह इन जत्थों को समन्वित करेगा।

सी आइ टी यू के 11वें महाविधेवशन के लिये प्रतिनिधि शुल्क 600 रुपये प्रति प्रतिनिधि होगा।

कामकाजी महिलाएं

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन अक्टूबर 2003 में मुम्बई में होगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या 250 होगी; ये प्रतिनिधि महाराष्ट्र से बाहर के होंगे। प्रतिनिधियों के राज्यवार कोटे का निर्धारण समिति की बैठक में किया जाएगा जो 28 जुलाई को कटक में होगी। सी आइ टी यू की सभी राज्य समितियों को यकीनी बताना होगा कि निर्धारित कोटे के अनुसार प्रतिनिधियों को सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा जाए। प्रतिनिधि शुल्क 200 रुपये प्रति प्रतिनिधि होगा।

सभी राज्य समितियों को अखिल भारतीय सम्मेलन से पहले कामकाजी महिलाओं के राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन कर लेना चाहिए। यदि सी आइ टी यू के राज्य सम्मेलनों से पहले इनका आयोजन किया जाए तो और भी अच्छा होगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन भी कर लेना चाहिए।

जमीनी सच्चाइयों की अनदेखी कर दी। यह वह दौर है जिसमें भारत में नियोदता वर्ग मजदूरों के खिलाफ आक्रामक होता गया है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हड़ताल के चलते जितने कार्यदिवसों का नुकसान होता है उससे कहीं बहुत ज्यादा कार्य दिवसों का नुकसान ले आफ तालाबंदी और कारखानाबंदी के चलते हुआ है। सी आइ टी यू ने विचार व्यक्त किया कि भारत एक जनतंत्र है,जहां एसोसियेशन का अधिकार मौलिक अधिकार है,जो सौदेबाजी और उन मामलों में,जहां सही सौदेबाजी के द्वारा बंद हो जाते हैं, हड़ताल का अधिकार भी माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूर्वाधार पर कार्य किया है कि दूसरी जगहों की तरह ही,तमिलनाडु में प्रशासन तभी प्रभावित होता है,जब कर्मचारी हड़ताल करते हैं। दो लाख के आसपास कर्मचारियों,जिन्हें सरकार ने एक काले अध्यादेश के तहत खड़े-खड़े बर्खास्त कर दिया था, को फिर से बहाल करने के लिए न्यायालय ने जो शर्तें रखी हैं, वे अपमानजनक स्थितियां थोपने जैसी हैं,जिनका किसी भी सभ्य समाज में समर्थन नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु सरकार हड़ताल से जिस तरह निपटी है, उसे बाकी देश के लिए और उन लोगों के लिए जो शासन में हैं,एक शानदार उदाहरण के रूप में पेश करने के जरिए न्यायपालिका ने मजदूरों और इनमें सरकारी सेवा में लगे मजदूर भी शामिल हैं,के उन अधिकारों को पांवों तले कुचल दिया है, जो भारी संघर्षों से हासिल किए गए थे। यह बेहद खेदजनक है कि सर्वोच्च न्यायालय उस कड़वी सच्चाई पर गौर करने में विफल रहा है जिसमें कर्मचारी अपने पेंशन तथा दूसरे लाभों में मनमानी दखलंदाजी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे।

सी आइ टी यू यह मानती है कि इस मामले में न्यायिक फैसले 'हायर एंड फायर' की व्यवस्था के ही पर्याय हैं,जिसकी दुहाई मालिकान देते रहे हैं। सी आइ टी यू यह घोषणा करती है कि मजदूर अपने जनतांत्रिक अधिकारों में किसी तरह की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब भी स्थिति इसकी मांग करेगी ,वे हड़ताल के अपने अधिकार को फिर से इस्तेमाल करेंगे। सी आइ टी यू एक बार फिर देश भर की ट्रेड यूनियनों और मजदूरों का आह्वान करती है कि तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों के समर्थन में गोलबंद हों और वहां पर जयललिता द्वारा छेड़े गए जघन्य हमलों को मात दें।

हालांकि एक पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश दिया है,लेकिन उसका फैसला एक अशुभकारी संकेत है,न सिर्फ ट्रेड यूनियनों तथा श्रम अधिकारों के लिए बल्कि जनतांत्रिक अधिकारों तथा जनतांत्रिक संस्थाओं के लिए भी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार अब भी अदालत के निर्देश को लागू करने में हीला-हवाला कर रही है,जो उसके प्रतिशोधात्मक रवैये को ही दिखाता है।

सी आइ टी यू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर हड़ताल के अधिकार पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित करने के लिए भी पहल करेगा।

भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष

21 मई की अखिल भारतीय हड़ताल की गहन समीक्षा के बाद सी आइ टी यू जनरल काउंसिल बैठक ने वैश्वीकरण के खिलाफ और संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन की आठ सूत्री मांगों के पक्ष में एक जोरदार अभियान चलाने का निर्णय लिया। यह अभियान आगामी 9 सितंबर को एक विशाल देशव्यापी प्रदर्शन में अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा। यहां यह याद दिला देना अनावश्यक नहीं होगा कि कनकुन में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रीस्तरीय बैठक इसी दिन होने जा रही है। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे कि ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति तथा जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के तत्वावधान में संयुक्त कार्यक्रम चलाए जा सकें ताकि संघर्षों को नयी बुलंदियों तक ले जाया जा सके और उन्हें दीर्घावधि बनाया जा सके।

सी आइ टी यू ने उन प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान की है,जहां निम्नलिखित क्षेत्रों में संघर्षों को समन्वित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं: ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें

हिन्दी भाषी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक

हिन्दी भाषी क्षेत्र में सी आइ टी यू राज्य समितियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक रविवार 7 सितम्बर, 2003 को सुबह 10 बजे सी आइ टी यू के केन्द्रीय कार्यालय बी टी रणदिवे भवन, 13-ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002 में होगी।

बैठक में अधोलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा;

- हिन्दी राज्यों में सी आइ टी यू की सांगठनात्मक स्थिति तथा गतिविधियां
- सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की कटक में 24-27 जुलाई, 2003 को सम्पन्न बैठक में निर्धारित किये गये कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में ।
- सी आइ टी यू के 11वें महाधिवेशन के सम्बन्ध में गठित किये जाने वाले जत्थों में समन्वय स्थापित करने के बारे में।

हिन्दी भाषी क्षेत्र की सभी राज्य समितियों के अध्यक्षों तथा महासचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनिवार्य रूप से इस बैठक में भाग लें।

कोयला खदानें भी शामिल हैं, तेल तथा प्राकृतिक गैस उद्योग एवं बिजली क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र,जिसमें बैंक, बीमा और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के दूसरे वित्तीय संस्थान शामिल हैं,परिवहन क्षेत्र,जिसमें जल परिवहन, एयरलाइंस, रेल तथा सड़क परिवहन शामिल है, दूरसंचार क्षेत्र, जिसमें टेली कम्युनिकेशन तथा डाक सेवाएं शामिल हैं और असंगठित क्षेत्र।

नाल्को की ट्रेड यूनियनों की संपूर्ण संघर्ष समिति सी आइ टी यू जनरल काउंसिल के बैठक स्थल पर पंहुच गयी थी। शिवाजी पटनायक ने भारी हर्षध्वनि के बीच बैठक से उनका परिचय कराया। सीटू की ओर से एम के पंधे ने उनका अभिनंदन किया और नाल्को के निजीकरण के खिलाफ उनके संघर्ष के प्रति सी आइ टी यू के समर्थन कीं शपथ ली। संघर्ष समिति के चेयरमैन ललित पटनायक ने नाल्को के मजदूरों तथा अधिकारियों के संघर्ष को सी आइ टी यू ने जो समर्थन दिया और उसके प्रति जो एकजुटता दिखायी उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया।

सी आइ टी यू की इस चार दिवसीय बैठक की एक खासियत थी फासीवादी संघ परिवार उन्मादी हमलों की पृष्ठभूमि में **सांप्रदायिकता की आक्रामकता पर अंकुश लगाने** के मसले पर हुयी आत्मालोचनात्मक बहस। इस बहस के लिए परिचर्चा पत्र कनाई बनर्जी ने पेश किया था,जिसमें देश में जनता को बांटने के लिए ,सांप्रदायिक दंगे भड़काने,जिनके चलते भारी जन हानि हो रही है,सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा अदा की जा रही विनाशकारी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया था। सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा ये साजिशें सबसे पहले राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए की जा रही हैं और उसके बाद उसे सुदृढ़ करने के लिए। अपने पर्चे में उन्होंने उस साभाजिक-राजनीतिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी विस्तार से प्रकाश डाला था जिसमें ये सांप्रदायिक शक्तियां अपना घृणित सिर उठा रही हैं। उनका कहना था कि सांप्रदायिक संगठन न सिर्फ जनता की एकता के लिए खतरा है बल्कि मजदूर वर्ग तथा संपूर्ण जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खतरा हैं। ये भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए और इस तरह हमारे जैसे बहुधर्मी देश की अखंडता के लिए भी खतरा हैं। बैठक ने इस हमले को प्रभावी ढ़ंग से मात देने के तरीकों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया। इनमें सबसे ज्यादा जोर आम मजदूरों के बीच सघन शिक्षा अभियान चलाने की फौरी जरूरत पर दिया गया था।

अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव सुकोमल सेन, बी एस एन एल कर्मचारी यूनियन के महासचिव वी ए एन नंबूदिरी,एफ एम आर ए आइ के अध्यक्ष सुधीर कुमार और आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव एस के धर ने बैठक को संबोधित किया।

ई बालानंदन द्वारा सी आइ टी यू का झंडा फहराए जाने के साथ यह बैठक शुरू हुयी,जिसके बाद उनका अध्यक्षीय भाषण हुआ। अपने भाषण में बालानंदन ने इराक युद्ध के बाद की साम्राज्यवादी साजिशों पर विस्तार से प्रकाश डाला और सी आइ टी यू कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि देश में साम्राज्यवाद विरोधी अभियान और संघर्ष को नयी बुलंदियों तक ले जाएं। उन्होंने विश्व की आज की आर्थिक स्थिति का भी व्यापक विश्लेषण पेश किया। उनका कहना था कि दुनियाभर में नवउदारवादी वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा है।

बैठक ने वर्ल्ड सोशल फोरम (विश्व समाज सम्मेलन)-2004 पर भी व्यापक विचार-विमर्श किया। यह सम्मेलन आगामी 16 से 21 जनवरी तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। बैठक ने सीटू की तमाम राज्य कमेटियों तथा संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया कि देश भर में इस सम्मेलन की प्रक्रिया का निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करें ताकि साम्राज्यवादी वैश्वीकरण,सांप्रदायिकता,धार्मिक कठमुल्लावाद, कट्टरतावादी हिंसा, जातिवाद, नस्लवाद, कार्य संबंधी भेदभावों, बहिष्करण तथा पितृसत्तात्मकता के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत किया जा सके और विश्व शांति को मजबूत बनाया जा सके। सी आइ टी यू डब्ल्यू एस एफ-2004 के समय दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर काम के विषय और श्रम की दुनिया पर क्षेत्रवार सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करने के लिए व्यापक पहलकदमी करेगी।

इस अवसर पर सी आइ टी यू उपाध्यक्ष समर मुखर्जी ने सी आइ टी यू की उड़ीसा राज्य कमेटी की पत्रिका **श्रमिक एकता** की विशेष स्मारिका का लोकार्पण किया। सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष मोहम्मद अमीन, जो कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के श्रम मंत्री भी हैं, के समापन भाषण के साथ बैठक संपन्न हुयी।

इस अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य सी आइ टी यू की ओर से हिमाचल प्रदेश के हाइडल प्रोजेक्ट मजदूरों के नेता शहीद अशोक कुमार के परिवार और उसी राज्य में हाल ही में बादल फटने से हुयी भारी बारिश में मारे गए मजदूरों के परिवारों की सहायतार्थ एक लाख रू0 का चेक भी दिया गया। पिछले महीने ही मालिकान के गुंडों ने अशोक कुमार की हत्या कर दी थी। सी आइ टी यू जनरल काउंसिल की इस बैठक ने 77 नयी यूनियनों को सी आइ टी यू की संबद्धता प्रदान की जिनकी कुल सदस्यता 19,543 है। □

(पृष्ठ 2 का शेष)

अपेक्षा नुकसान अधिक हुआ है।'' यदि इन उवाचों को कठोर जमीनी सच्चाईयों की कसौटी पर परखे'' तो वर्ष 2003 में भारत अपने मेहनतकश अवाम के लिये किसी भी तरह एक लोकतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता। वह एक तानाशाही व्यवस्था वाला देश होगा। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मामले में अपना फैसला देकर जो क्षति पहुंचाई है और उसे दूर करना होगा; एक लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक भारत के लिये यह एक चुनौती है। महान्यायवादी ने इसके लिये पथ प्रदर्शन किया है; यह खुशी की बात है।

('*द हिन्दु*' के 13 अगस्त 2003 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय)